



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.-NCST/ATY-509/BR/1/2022-RO-RNC

दिनांक: 20.06.2025

सेवा में

श्रीमती सुभावती देवी,
पति- संजय साह गोड़,
सा० हरपुर कोटवा, थाना-
एम०एच०नगर, जिला- सिवान,
बिहार-841203

विषय: अभ्यावेदिका श्रीमती सुभावती देवी, पति- संजय साह गोड़, सा०हरपुर कोटवा, थाना-
एम०एच०नगर, जिला- सिवान, बिहार-841203 से प्राप्त अभ्यावेदन "गोड़ जाति के सदस्य का
जमीन बैनामा लिखवा लेने के संबंध में"

महोदया,

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि इस प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा संबंधित प्राधिकारीगण के साथ दिनांक **30 जून, 2025 (सोमवार)** को **16.40 बजे** आयोग मुख्यालय में सिटिंग/सुनवाई निश्चित की है। तदनुसार संबंधित प्राधिकारी को अलग से समन/सिटिंग नोटिस भेज दिया गया है। अतः आप से अनुरोध है कि आप भी प्रकरण के दस्तावेज सहित उक्त सिटिंग में समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच.आर.मीना/H.R.Meena)

अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

दूरभाष/Tele: 011-24615012

E-mail : hari.rammeena@ncst.nic.in

Copy to:-

Nic for uploading